रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1281] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930
No. 1281] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

का.आ. 2191(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 11 सितम्बर, 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) और नेता, समाजवादी संसदीय पार्टी, लोक सभा, निवास : 36, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

—याची

बनाम

श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य (लोक सभा), मोहनलाल गंज (अ.जा.) उत्तर प्रदेश का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

—प्रत्यर्थी

के मामले में :

आदेश

1. यह आवेदन प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य और नेता, समाजवादी संसदीय पार्टी, लोक सभा द्वारा श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा में 21 जुलाई, 2008 को प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके अपना मत देने के कारण भारतीय संविधान की अनुच्छेद 102(2) और दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ख के अंतर्गत लोक सभा की सदस्यता के लिए निरर्ह होने के कारण प्रत्यर्थी की लोक सभा सदस्यता समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

2. याची ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी जो कि लोक सभा का सदस्य है, 14वीं लोक सभा में मोहनलाल गंज-अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा द्वारा प्रकाशित सदस्यों की सूची में समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में प्रकाशित है।

3. जैसा कि पहले बताया गया है याची के अनुसार प्रत्यर्थी को प्रधान मंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए तीन पंक्तियों की व्हिप जारी की गई थी।

4. याची ने यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मत देकर पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, जिसे पार्टी या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं किया गया है, इसलिए वह निरर्हता के पात्र हैं।

5. याचिका में 22 जुलाई, 2008 को हुए मत विभाजन के परिणाम की सूची संलग्न की गई है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रत्यर्थी ने प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया।

6. प्रत्यर्थी को याचिका की प्रति विधिवत् रूप से दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। साथ ही अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने संबंधी नोटिस, जिसमें सुनवाई की तारीख 10 सितम्बर, 2008 तय की गई थी, को लोक सभा सचिवालय द्वारा यथा अपेक्षित प्रत्यर्थी को विधिवत् रूप से दिया गया था परन्तु उन्होंने उपस्थित होना उचित नहीं समझा और वास्तविकता तो यह है कि प्रत्यर्थी ने लोक सभा सचिवालय या अध्यक्ष के कार्यालय में कोई सूचना भी नहीं दी। इस पूर्वकथित तथ्य पर जहां तक प्रत्यर्थी का सवाल था, मैंने एकपक्षीय सुनवाई करने का निर्णय लिया।

7. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ख में यह प्रावधान है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी

राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य, यदि वह ऐसे राजनीतिक दल, जिसका वह सदस्य है, की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसा मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है, सदन का सदस्य रहने के लिए निरर्ह हो जाएगा ।

8. व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान याची ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 9 जुलाई, 2008 और 20 जुलाई, 2008 को प्रकाशित कई समाचार पत्रों की रिपोर्टों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है जिनमें प्रत्यर्थी का यह वक्तव्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों का स्पष्ट रूप से विरोध किया था ।

9. याचिका और उसके साथ संलग्न पूर्णतया विश्वसनीय प्रमाण, यथा लोक सभा के रिकॉर्डों, से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने जिसकी एक प्रति याचिका के साथ भी संलग्न है, में निहित अपने दल के निदेश का उल्लंघन करते हुए अपने राजनीतिक दल के निदेश के विपरीत मतदान किया है जो कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ख के अंतर्गत क्षम्य नहीं है और इसलिए स्पष्ट रूप से निरर्ह हो गए हैं ।

10. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी द्वारा याचिका का अथवा अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया गया है अतः मुझे यह निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं कि प्रतिवादी वस्तुतः 22 जुलाई, 2008 को प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कर संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ख के अंतर्गत निरर्ह हो गया है ।

11. इस प्रकार, प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया है और यह घोषित किया जाता है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।

11 सितम्बर, 2008

सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्ष, लोक सभा"

[सं. 46/32/2008/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

S.O. 2191(E).—The following decision dated 11th September, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"In the matter of :

Prof. Ram Gopal Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) and Leader, Samajwadi Parliamentary Party, Lok Sabha, residing at 36, North Avenue, New Delhi 110001.

— Petitioner

Versus

Shri Jai Prakash, Member of Parliament, (Lok Sabha), Mohanlal Ganj - SC Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

— Respondent

ORDER

1. This is an application filed by Prof. Ram Gopal Yadav, MP, Lok Sabha and Leader, Samajwadi Parliamentary Party, Lok Sabha against Shri Jai Prakash, MP, Lok Sabha praying for termination of the membership of Lok Sabha of the Respondent for incurring disqualification for being a Member of Lok Sabha under Article 102 (2) of the Constitution of India and Paragraph 2 (1) b of the Tenth Schedule of the Constitution, on account of exercising his vote in violation of the Party Whip issued on him by the Chief Whip of Samajwadi Party, during the Motion for Vote of Confidence moved by the Prime Minister in Lok Sabha.

2. It is contended by the Petitioner that the Respondent, who is a Member of Lok Sabha, has been elected as a candidate of Samajwadi Party from Mohanlal Ganj - SC Lok Sabha Constituency of Uttar Pradesh to the 14th Lok Sabha. The name of the Respondent appears in the list of Members, published by Lok Sabha as belonging to Samajwadi Party.

3. According to the Petitioner, a three-line Whip was issued on the Respondent for voting in favour of the Motion of Confidence in the Council of Ministers moved by the Prime Minister, as aforesaid.

4. It is contended by the Petitioner that the Respondent voted against the Motion of Confidence violating the Party Whip issued by the Chief Whip of the Party and as such has incurred disqualification, as mentioned above.

5. To the Petition, a list has been annexed showing the result of the Division held on 22 July, 2008, which confirms that the Respondent had voted against the Motion.

6. In spite of due service of the copy of the Petition on the Respondent, no reply has been filed by him. Further, the notice of the personal hearing granted by the Speaker, as forwarded by the Lok Sabha Secretariat, fixing the date of hearing on 10th September, 2008, was duly served on the Respondent but he has not chosen to appear and as a matter of fact no intimation even has been given by the Respondent to the Lok Sabha Secretariat or to the Office of the Speaker. In the premises, it was decided to hear the matter ex parte so far as the Respondent was concerned.

7. Paragraph 2(1) b of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to the provisions of paragraphs 4 and 5, a Member of the House belonging to any Political Party shall be disqualified for being a member of the House, if he votes or abstains from voting in such House, contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation by the political party for such voting or abstention within fifteen days from the date of such voting or abstention.

8. At the personal hearing, the Petitioner appearing in person has drawn my attention to several newspaper reports published on 9th July, 2008 and 20th July, 2008 in which the statement of the Respondent had appeared in which he clearly expressed his opposition to his Party's policies and programmes.

9. From the Petition and the unimpeachable evidence annexed to the Petition, namely the records of the Lok Sabha, it is clear that the Respondent in violation of the direction of his Party, as contained in the Whip, a copy of which is also annexed to the Petition, has voted contrary to the direction of his Political Party and thereby he has clearly incurred disqualification for being a Member of the House.

10. Further, no answer has been provided by the Respondent to the petition or otherwise and as such I have no hesitation in holding that the Respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2 (I) b of the Tenth Schedule of Constitution by reason of his casting vote on 22nd July, 2008 against the Motion of Confidence moved by Prime Minister.

11. Thus the Respondent stands disqualified for continuing as a Member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant.

Dated the 11th September, 2008

SOMNATH CHATTERJEE
Speaker, Lok Sabha"

[No. 46/32/2008/T]
P. D. T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.